



सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक /06/2017

क्रमांक एफ 1-3/2010/1-13 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.11.2016 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रं. 22 सन् 2005) की धारा-19 के प्रावधानों के तहत श्री टोपेश्वर वर्मा, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को कक्ष-4, 8 एवं 11 से संबंधित विषयों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी पद-विहित किया गया था। श्री टोपेश्वर वर्मा का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री ईमिल लकड़ा, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (दूरभाष क्र.0771-2510252) को विभाग के उक्त कक्षों से संबंधित विषयों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी पद-विहित किया जाता है।

हस्ताक्षर
(डी०डी०सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०क्र० एफ 1-3/2010/1-13
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 24 /06/2017

1. सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ०ग०।
2. श्री ईमिल लकड़ा, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, नया रायपुर।
3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय निवास, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर।
7. समस्त अवर सचिव/जनसूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-4, 8 एवं 11, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने बाबत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित



SA 27/6/17
27/6/17

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग